राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 09/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2022/54
दायर दिनांक— 23.03.2022
निर्णय दिनांक— 19.04.2023

उनवानी

1. छोटूराम दत्तक पुत्र भैरू जाति माली, निवासी ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

——प्रार्थी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र लक्ष्मण
2. तीजा पत्नि भंवरलाल
3. रास्वरूप पुत्र भंवरलाल
4. सुन्दर पत्नि लक्ष्मण
5. सोनू पुत्री भंवरलाल
6. तेजाराम पुत्र भंवरलाल

सर्वजाति माली, सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा , तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. श्री शान्तिलाल ढ़ेल अधि0 प्रार्थी
2 विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 अप्राथी सं0 1—4 व 6

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के एकल खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सुरसुरा, पटवार हल्का सुरसुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाड़ा के ख0न0 2427/916 रकबा 0.2993 है0 भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण निहित है। प्रार्थी अपनी वर्णित आराजी ख0न0 2427/916 में पहुंच हेतु पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 916 रकबा 0.2993 है0 से होते हुए आवागमन करता है जो कि निकटतम व सरल रास्ता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि ख0न0 916 से पहले प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि है, जो ख0न0 897 से जुड़ता है, जहां से रास्ता प्रारंभ होता है। प्रार्थी की भूमि ख0न0 2427/916 में पहुंच हेतु निकटतम रास्ता होना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुंच हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि ख0न0 916 से होता हुआ प्रार्थी की भूमि तक पहुंचता है। प्रार्थी के इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान आधुनिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से 15 फीट का रास्ता होना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

19.4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को मौखिक रूप से दिनांक 16.03.2022 को निवेदन किया कि सहमति से रास्ता कायम करवाये परन्तु अप्रार्थीगण ने मना कर दिया तब से वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि से चाहा गया रास्ता स्वीकृत करवाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी संख्या 6) की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को कृषि कार्य करने व कृषि यंत्र को अपने खेत तक ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि से रास्ता दर्ज करवाने की कृपा करावें। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ते की पहुंच आगे रिकार्डेड रास्ते तक नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के आगे खातेदारी भूमि है तथा उसके आगे ख0न0 897 रिकार्डेड गै0मु0 नाला भी बना हुआ है। उक्त ख0न0 897 गै0मु0 नाला की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों में आती है। अतः इसमें से होकर रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने खेत ख0न0 2447/916 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के ख0न0 916 से रास्ता चाहा है, लेकिन प्रार्थना–पत्र में और दस्तावेजों से कहीं भी यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किस पहुंच मार्ग तक होगा। प्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है कि ख0न0 915 प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, लेकिन उसमें से भी पहुंच मार्ग तक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। इसके साथ ही ख0न0 897 किस्म गै0मु0नाला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है, जिसमें रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते की पहुंच आगे रिकार्डेड रास्ते तक होना सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)